

उद्योग विभाग  
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक- 80क0सह0-(मासिक बैठक)- 01/2018

359

पटना, दिनांक- 28/2/18

प्रेषक,

निदेशक,

हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,

जिला उद्योग केन्द्र,

पटना / नालन्दा / औरंगाबाद / रोहतास / कैमूर / नवादा / सिवान / मधुबनी / बांका / जहानाबाद /

कटिहार / गया / भागलपुर / प0 चम्पारण / खगडिया / मुजफ्फरपुर।

उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र),

गया / भागलपुर।

विषय- कार्यवाही की कडिका 7 में संशोधन के संबंध में।

प्रसंग- कार्यवाही ज्ञापाक 351 दिनांक 23.02.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यवाही की कडिका 7 में अंकित कार्यावली के बिन्दु 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के स्थान पर 'हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना' पढ़ा जाए। साथ ही इस योजना से संबंधित पत्राचार में योजना का सही नाम का उल्लेख किया जाए।

2. कार्यवाही का शेष बिन्दु यथावत् रहेगा।

विश्वासभाजन,

28/2/18

निदेशक,

हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

आवि

पटना, दिनांक- 28/2/18

ज्ञापाक- 80क0सह0-(मासिक बैठक)- 01/2018

359

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/2/18

निदेशक,

हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

आवि

ज्ञापाक- 80क0सह0-(मासिक बैठक)- 01/2018

359

पटना, दिनांक- 28/2/18

प्रतिलिपि- राज्य नोडल पदाधिकारी (RSBY), राज्य स्वास्थ्य लिमिटेड, कटिहार, शेखपुरा, पटना-14 को सूचना के रूप में आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

28/2/18

निदेशक,

हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

आवि